

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.), रामानुजनगर, जिला-सूरजपुर (छ.ग.)

क्रमांक 808/वाचक/2025

रामानुजनगर, दिनांक 16/05/2025

रा0प्र0क0.- 202505263400024

अ-62/2024-25

प्रारूप-ग
(नियम 3(2) देखिये)
अनुशंसा

प्रति,

नवल सिंह...उम्र.....
पिता/पति...दिपनाशायण...वर्ग...अन्य पिछड़ा..
ग्राम...मोहनपुर...पटवारी ह0न0...30.
तह0...रामानुजनगर...थाना...रामानुजनगर..
जिला...सूरजपुर (छ.ग.).....

विषय:- रोपित वृक्षों की कटाई हेतु अनुशंसा।

विषयान्तर्गत आपका आवेदन दिनांक 23/04/2025 को इस कार्यालय में प्राप्त हुआ। राजस्व विभाग एवं वनविभाग के संयुक्त निरीक्षण हेतु ज्ञापन दिनांक 29/04/2025 को जारी किया गया। संयुक्त निरीक्षण प्रतिवेदन दिनांक 06/05/2025 को प्राप्त हुआ। आवेदन में उल्लेखित तथ्यों का सत्यापन किया गया। स्थल पर कटाई हेतु सेमल के वृक्ष की संख्या 02 है।

अभिलेख एवं स्थल निरीक्षण के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि खसरा नंबर 667 रकबा 1.4800 हे0.ग्राम...मोहनपुर...पटवारी ह0न0...30...तह0...रामानुजनगर...स्थित वृक्ष जिनकी प्रजाति ... सेमल...एवं संख्या (कमशः) 02 है, को काटे जाने पर संहिता के किन्हीं उपबधों का उल्लंघन नहीं हो रहा है। अतः वृक्ष कटाई के आवेदन पर अनुशंसा अभिव्यक्त की जाती है।

छ.ग. वनउपज (व्यापार विनियम) अधिनियम, 1969 (क्र. 9 सन 1969) एवं भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16) के अंतर्गत निर्मित छ.ग. परिवहन (वन उपज) नियम, 2001 का पालन नहीं किए जाने पर यह अनुशंसा शून्य होगी।

यह अनुशंसा आवेदन दिनांक से एक कलेण्डर वर्ष तक मान्य रहेगी।

अनुविभागीय अधिकारी (राज.)

रामानुजनगर, जिला-सूरजपुर (छ.ग.)

रामानुजनगर, दिनांक 16/05/2025

पृष्ठ क्रमांक 808A/वाचक/2025

प्रतिलिपि:-

1. कलेक्टर जिला...सूरजपुर की ओर प्रेषित.....
2. वनमण्डलाधिकारी, वनमण्डल...सूरजपुर...को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. तहसीलदार, तहसील...रामानुजनगर...को वृक्ष कटाई के पश्चात राजस्व अभिलेख अद्यतन करने हेतु।

आप्तकर्ता
श्री कलम

अनुविभागीय अधिकारी (राज.)

रामानुजनगर, जिला-सूरजपुर (छ.ग.)

रामानुजनगर, दिनांक 16/05/2025